तेंदूपत्ता संग्राहक महिलाओं को 344 .5 करोड़ का लाभ

धरातल पर साकार हो रही नारी शक्ति वंदन की भावना

तेंदूपत्ता संग्रहण की दर 3से 4 हजार रुपए प्रति मानक बोरा करने का फायदा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 24 अप्रैल. राज्य सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण की दर को रुपए 3,000 से बढ़ाकर रुपए 4,000 प्रति मानक बोरा कर दिया है. इस निर्णय के चलते प्रदेश में लगभग 708.8 करोड़ रुपये पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है.

इससे महिलाओं को लगभग 344.5 करोड़ रुपये का सीधा लाभ हुआ है. यह वृद्धि केवल आय बढ़ाने का उपाय नहीं, बल्कि ग्रामीण और वनवासी महिलाओं को सम्मानजनक आर्थिक पहचान देने का प्रयास है. संग्राहकों को कुल 132.42 करोड़ रुपये का बोनस वितरित किया गया है. इसमें महिला संग्राहकों का हिस्सा लगभग 64.36 करोड़ रुपये है.

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विशेष रूप से महिला तेंदूपत्ता संग्राहकों के जीवन में ठोस बदलाव लाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाए हैं. सरकार नारी शक्ति के उत्थान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इसी संकल्प को मूर्त रूप देते हुए मप्र में तेंदूपत्ता संग्राहक महिलाओं के हित में निर्णय लिये गये हैं. इन निर्णयों से नारी शक्ति वंदन की भावना धरातल पर साकार हो रही है. तेंदूपत्ता संग्रहण जैसे पारंपरिक कार्य को आधुनिकता से जोड़कर सरकार ने यह सिद्ध किया है कि नारी शक्ति संवेदनशील और दूरदर्शी नीतियों के माध्यम से समाज के हर स्तर पर परिवर्तन ला सकती है. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह पहल न केवल महिलाओं की आय बढ़ा रही है, बल्कि उनके आत्मविश्वास, सम्मान और सामाजिक स्थिति को भी नई ऊंचाई दे रही है. तेंदूपत्ता संग्रहण क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है. प्रदेश में कुल 40.8 लाख संग्राहकों में लगभग 19.8 लाख महिलाएं हैं. इस तरह महिलाओं की भागीदारी लगभग 48.6 फीसदी है. स्पष्ट है कि यह केवल वन आधारित आजीविका नहीं, बल्कि महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता का भी एक बड़ा माध्यम है. नारी शक्ति वंदन मध्यप्रदेश में एक जीवंत अभियान बन चुका है, जहां महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की सहभागी हैं. तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए सरकार ने बहुआयामी योजनाएं लागू की हैं. इनमें चरण पादुका योजना, सामाजिक सुरक्षा लाभ और वन समितियों के माध्यम से सामुदायिक सशक्तिकरण के साथ ही ग्राम विकास एवं वन संरक्षण के लिए 35.31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

प्रतिभा को एक लाख प्रोत्साहन राशि देगी सरकार

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दसवीं बोर्ड की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली होनहार छात्रा पन्ना की कु. प्रतिभा सिंह सोलंकी को माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 500 में से 499 अंक प्राप्त करने पर एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बेटी कु. प्रतिभा और उनके माता-पिता को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बेटी कु. प्रतिभा को सुशासन की प्रतीक लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर माँ की मूर्ति भेंट की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव से भेंट तथा आशीर्वाद प्राप्त करने प्रतिभा, परिजन मुख्यमंत्री निवास आईं थीं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रतिभा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि प्रतिभा जैसी बेटियां प्रदेश की शान हैं.

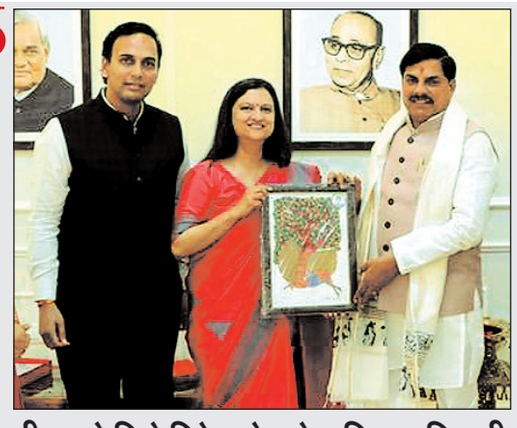

सीएम से मिले विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से शुक्रवार को भारतीय विदेश सेवा के वर्ष 2025 बैच के चार प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में सौजन्य भेंट की. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को उज्जवल भविष्य की आत्मीय शुभकामनाएं देकर स्मृति चिन्ह भी दिए. इस अवसर पर आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल के संचालक मुजीबुर्रहमान खान सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे.

मलेरिया : प्रदेश में 5 साल में 70% कमी

देश में मलेरिया मामलों में 80%की भारी गिरावट

साक्षी केसरवानी

भोपाल, 24 अप्रैल. देश में मलेरिया के आंकड़ों में 2015 से 2023 के बीच 80 प्रतिशत तक कमी दर्ज की गई है. जहां 2015 में देश भर में 11,69,261 मामले मलेरिया के थे वो 2023 में घटकर 2,27,564 रह गए. जबकि मौतें 384 से घटकर मात्र 83 रह गईं.

वहीं मध्यप्रदेश में राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के 'मलेरिया उन्मूलन अभियान' के प्रभाव से आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में मलेरिया के मामलों में करीब 70 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई है. राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम और राज्य स्वास्थ्य समिति के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2025 में की गई कुल 1 करोड़ 5 लाख 7 हजार 567 जांच में केवल 2012 मलेरिया के मामले दर्ज किए गए हैं. जो कि पिछले 5 सालों की तुलना में भारी गिरावट को दर्शाता है.

सावधानी ही सुरक्षा है

- विशेषज्ञ के अनुसार रात में सोते समय अनिवार्य रूप से मच्छरदानी लगाएं.
- शाम के समय शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें.
- घर के आसपास पानी जमा न होने दें.
- ठहरे हुए पानी में मिट्टी का तेल या 'टेमीफॉस' डालें.
- नीम का तेल या रिपेलेंट्स का उपयोग करें.

मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट

पिछले 5 वर्षों में दर्ज मामले

वर्ष	कुल जांच	रोगियों की संख्या	सकारात्मक दर (%)
2021	9864546	3181	0.03%
2022	11031117	3826	0.03%
2023	11530451	3794	0.03%
2024	11890682	3252	0.03%
2025	10507567	2012	0.02%

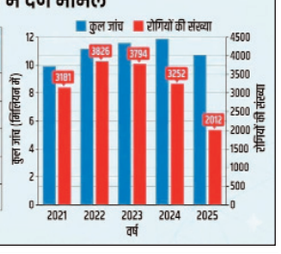

भोपाल और अन्य जिलों की स्थिति

भारत ने 2030 तक शून्य मामला प्रदर्शित करने का लक्ष्य रखा है. जिसमें मध्यप्रदेश के भोपाल जिले में साल 2021 से मलेरिया के मामले 37 से घटकर साल 2025 में मात्र 13 रह गए हैं. फॉगिंग और लार्वा सर्वे ने यहां अहम भूमिका निभाई है. वहीं सबसे बेहतर सुधार वाले जिले में भोपाल समेत इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर शामिल है. जहां केस न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुके हैं. जबकि मंडला, डिंडोरी और झाबुआ जैसे आदिवासी बहुल और जंगली क्षेत्रों में अभी भी विभाग का विशेष फोकस है, क्योंकि यहां संक्रमण की दर अन्य जिलों की तुलना में थोड़ी अधिक है.

एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया

भोपाल जिला मलेरिया विभाग के अनुसार:
राजधानी में पिछले 5 सालों में दर्ज मलेरिया के केस
2021 से 2026 तक मामलों में लगातार गिरावट का ट्रेंड

विश्व मलेरिया दिवस 2026

वर्ष	कुल जांच	दर्ज मामले	सुधार %
2021	3,94,017	37	बेसवॉल
2022	4,26,273	19	↓ 48.6%
2023	4,06,317	15	↓ 21.0%
2024	3,66,786	12	↓ 20.0%
2025	2,98,310	13	↑ 8.3%*
2026 (23 अप्रैल)	73,820	03	↓ 76.9%

*2025 में मामलों में मामूली बढ़त, लेकिन 2021 की तुलना में बहुत कम। 2026 के आंकड़े अप्रैल तक के हैं।

विशेषज्ञ ने बताया कि मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होती है. यह संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से इंसानों के खून में फैलता है. भारत में दो प्रकार के मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं. जिसमें पहला पी. वाइवैक्स होता है, इसमें सामान्य बुखार बार बार लौटकर आता है. वहीं दूसरा पी. फाल्सीपेरम होता है, ये खतरनाक है, इसमें बुखार दिमाग में असर करता है और जानलेवा हो सकता है.

जनस्वास्थ्य सुरक्षा के लिये प्रतिबद्ध है सरकार

सरकार जनस्वास्थ्य सुरक्षा के लिये प्रतिबद्ध है. संक्रामक, असंक्रामक सहित वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और उपचार के सशक्त प्रयास किये जा रहे हैं. मलेरिया नियंत्रण में प्राप्त सकारात्मक परिणाम हमारे समन्वित प्रयासों सर्विलांस, समय पर जांच और उपचार, वेक्टर नियंत्रण, जन-जागरूकता अंतर्विभागीय सहयोग का प्रमाण हैं. सरकार आगे भी सुदृढ़ रणनीतियों, नवीन तकनीकों और समुदाय की भागीदारी के माध्यम से वेक्टर जनित रोगों के उन्मूलन हेतु निरंतर प्रयासरत रहेगी.

-राजेन्द्र शुक्ला, डिप्टी सीएम, मप्र

21 जोन में 44 टीमें कर रही मलेरिया रोकथाम पर कार्य

जिले के 21 जोन में 44 टीमें बनाई गई हैं. ये टीम मलेरिया प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लार्वा सर्वे करती हैं. साथ ही स्कूलों आंगनवाड़ी में जानकागरुकता कार्यक्रम के साथ मलेरिया से बचाव को बताती हैं. वहीं अगर किसी जोन में मलेरिया का मरीज मिलता है तो हमारी रैपिड रिस्पॉन्स टीम तुरंत एक्टिव होकर मामले की जांच करती है और सहयोग प्रदान करती है.

-स्मृति नामदेव, जिला मलेरिया अधिकारी, भोपाल

गरम हवाओं से बढ़ रहा प्रदेश का तापमान

11 जिलों में लू का अलर्ट

भोपाल, 24 अप्रैल. मध्यप्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का असर तेजी से बढ़ रहा है. राजस्थान से आ रही तपती हवाओं ने प्रदेश के तापमान को और अधिक बढ़ा दिया है, जिससे कई जिलों में लू जैसे हालात बन गए हैं.

राजधानी भोपाल, जबलपुर, उज्जैन सहित कई प्रमुख शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है. मौसम विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, सिवनी, रतलाम, झाबुआ, धार और अलीराजपुर समेत 11 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है. पिछले 24 घण्टे में प्रदेश का तापमान सामान्य से लगभग 4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया. नर्मदापुरम सबसे गर्म रहा, जहां पारा 43.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. खजुराहो और नौगांव में भी तापमान 43 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया. इसके अलावा सीधी, दतिया, दमोह, सागर और टीकमगढ़ जैसे जिलों में तापमान 42 डिग्री से ऊपर रहा. प्रमुख शहरों में जबलपुर 41.6 डिग्री, भोपाल 41 डिग्री, ग्वालियर 40.8 डिग्री, इंदौर 40.6 डिग्री और उज्जैन 40 डिग्री दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के अनुसार 27 अप्रैल के आसपास ग्वालियर, मुरैना, भिंड, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण संभावित है. इस भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. दिनभर पर्याप्त पानी पीना, दोपहर के समय धूप से बचना, हल्के और सूती कपड़े पहनना और बच्चों व बुजुर्गों का खास ध्यान रखना जरूरी है.

रात का तापमान भी 25 से 27 डिग्री के बीच बना हुआ है, जिससे गर्म रातों की स्थिति बन रही है.

4 मई को ऋषि गालव विवि का भूमिपूजन

ग्वालियर. मध्य भारत शिक्षा समिति द्वारा शिवपुरी लिंक रोड, शीतला माता मार्ग स्थित ग्राम बेला में ऋषि गालव विश्वविद्यालय का भूमि पूजन सोमवार, 4 मई को प्रातः 9:30 बजे होगा. 55 बीघा के विशाल परिसर में बनने वाला यह विश्वविद्यालय लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से एक वर्ष के भीतर तैयार हो जाएगा और गुरु पूर्णिमा 2027 से यहां शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है. मध्य भारत शिक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र बांदिल ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्तर स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी होंगे. मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव होंगे.

सुदा गांव में आदिवासी युवक की हत्या, आरोपी अब भी फरार

पुलिस जांच तेज, एसपी के निर्देश पर कई थानों की टीम लगी तलाश में

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 24 अप्रैल। चितरंगी थाना क्षेत्र के ग्राम सुदा में एक आदिवासी युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद से ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान भुनेश्वर उर्फ छंगू कोल उम्र 40 वर्ष पुत्र रामभजन कोल, निवासी ग्राम सुदा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह 23 अप्रैल की सुबह करीब 9 बजे घर से गांव में घूमने के लिए निकला था, जिसके बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कुछ समय बाद उसका शव मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही चितरंगी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चितरंगी भेज दिया। प्रारंभिक जांच में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

Name Correction Notice

MANORAMA DEVI W/O **NARENDRA PRATAP DWIVEDI** Army No. **JC402036L** Rank. **NB/SUB** Name- Resident of Village- **Sahji**, Post- **Sonvarsha**, tehsil- **Sihawal**, Distt-Sidhi (M.P.) Pin- 486670 do hareby solemnly affirm and declare as under.

(a) I Want to change my name spelling MANORMA to **MANORAMA DEVI**

(b) I am one losing copy of Aadhar Card and PAN Self attested as proof.

Date- 24.04.2026 **Place-** Sidhi

Signature Manorama devi

चेक अनादरण की सूचना

नोटिस अजतरफ आशीष कुमार सिंह तनय श्री अखंड प्रताप सिंह उम्र 40 वर्ष निवासी मैदानी जिला रीवा म.प्र द्वारा अधिवक्ता ऋषी कुमार तिवारी

.....नोटिसदाता/प्रथम पक्ष

विरूद्ध

प्रयाग मिश्रा तनय श्री जगन्नाथ मिश्रा निवासी ग्राम शिवपुर्वा 601 पो0 बड़ी पांती थाना गोविंदगढ़ तहसील गुढ़ जिला रीवा म.प्र

.....नोटिसग्रहिता/द्वितीय पक्ष

नोटिस अवधि 15 दिवस

1- जो कि मेरा पक्षकार प्रथम पक्ष प्रापर्टी डीलिंग एवं आप द्वितीय पक्ष ठेकेदारी का कार्य करते है और एक दूसरे से भली भांति परिचित है.

2- जो कि आप द्वितीय पक्ष को अपनी निजी आवश्यकता हेतु 6,00000 रूपये (छ:लाख रूपये) की आवश्यकता थी तो आप द्वितीय पक्ष ने मेरे पक्षकार से 6,00000 रूपये बतौर उधार की मांग की. जिसे अदा करने हेतु आपने 6 माह का समय मांगा. जिस पर मेरे पक्षकार ने आप द्वितीय पक्ष को 6,00000 रूपये दिनांक 20.07.2024 को बतौर उधार नगद दे दिया.

3- जो कि आप द्वितीय पक्ष के द्वारा मेरे पक्षकार से लिये गये उपरोक्त रकम दिये गये समय पर वापस नही की. तब मेरे पक्षकार ने आपसे मिलकर अपने रूपयो की मांग की. तब आप द्वितीय पक्ष ने मेरे पक्षकार को अपने खाते का चेक क्र. 000004 दिनांकित 24.02.2026 मालियती 6,00000 रूपये जो चेक बैंक आफ बडौदा शाखा सिरमौर चौराहा रीवा द्वारा जारी किया गया था प्रदान किया तथा कहा कि उपरोक्त चेक के माध्यम से आप अपने रूपयो का भुगतान प्राप्त कर ले. तथा दिये गये चेक की लिखा पढ़ी भी आपके द्वारा 9 अक्टूबर 2025 को की गई थी.

4- जो कि मेरे पक्षकार ने आपके द्वारा दिये गये चेक को अपने बैंक खाते में जो पंजाब नेशनल बैंक शाखा सैनिक स्कूल रीवा में है मे समाशोधन हेतु दिनांक 31.03.2026 को प्रस्तुत किया तो उपरोक्त चेक बैंक द्वारा अपने मेमो में कारण संख्या 1 FUNDS INSUFFICIENT की टीप के साथ अनादरित कर मेरे पक्षकार को दिनांक 02.04.2026 को वापस कर दिया गया. चेक अनादरण होने के उपरांत मेरे पक्षकार ने आपसे सम्पर्क करने का प्रयास किया किन्तु आप द्वितीय पक्ष लगातार मेरे पक्षकार से सम्पर्क करने से बचते रहे. जिससे आप द्वितीय पक्ष की चेक राशि 6,00000 रूपये (छ: लाख रूपये) अदा न करने की स्पष्ट नियत दर्शित होती है.

5- जो कि इस मांग सूचना नोटिस के माध्यम से आप द्वितीय पक्ष को चेताया जा रहा है कि नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर आप द्वितीय पक्ष मेरे पक्षकार प्रथम पक्ष को उपरोक्त चेक की राशि 6,00000 रूपये (छ: लाख रूपये)का भुगतान करके रसीद प्राप्त कर लें. अन्यथा मेरा पक्षकार आप द्वितीय पक्ष के विरूद्ध न्यायालय की शरण में जाकर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत परिवाद पत्र प्रस्तुत करने को मजबूर होगा. जिससे उत्पन्न होने वाली परेशानियों व हर्जे-खर्चे के जिम्मेदार आप द्वितीय पक्ष स्वयं होगे.

नोटिसदाता/ प्रथम पक्ष

रीवा, दिनांक 24.04.2026

ऋषी कुमार तिवारी द्वारा अधिवक्ता

नर्सिंग परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक

छात्रों को सूटेबल कॉलेजों में नहीं किया ट्रांसफर

जबलपुर, 24 अप्रैल. नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस ए के सिंह ने जीएनएम कोर्स की 28 अप्रैल से प्रस्तावित अंतिम वर्ष की परीक्षा के आयोजन पर रोक लगा दी है.

युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि हाईकोर्ट की अनुमति के बिना अंतिम वर्ष की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाये. याचिका पर अगली सुनवाई 28 अप्रैल को निर्धारित की गयी है. गौरतलब है कि लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से अधिवक्ता विशाल बघेल की तरफ से दायर जनहित याचिका में प्रदेश में खुले सैकड़ों फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी. याचिका में कहा गया था कि निर्धारित शर्तो का पालन नहीं करने के बावजूद भी कागजो में संचालित नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता प्रदान की गयी है. हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेज की जांच के निर्देश सीबीआई को दिये थे.

प्रिंसिपल-शिक्षक 15 -15 कॉलेजों में कार्यरत दर्शाए

सीबीआई जांच के दौरान प्रदेश में संचालित 8 सौ नर्सिंग कॉलेजों में से करीब 6 सौ कॉलेज अनुपयुक्त या कमियों से भरे पाए गए थे. इन संस्थानों में भवन, लैब, लाइब्रेरी, अनुभवी शिक्षक और सौ बिस्तरों वाले अस्पताल जैसी अनिवार्य सुविधाओं नहीं थी. कई कॉलेज केवल कागजों पर चल रहे थे और कई प्रिंसिपल और शिक्षक 15 -15 कॉलेजों में एक साथ कार्यरत दर्शाए गए थे. याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि प्रदेश में जीएनएम कोर्स संचालित करने वाले जो 117 नर्सिंग कॉलेज सीबीआई जांच में अपात्र पाये गए थे. इस कॉलेज के छात्रों को सुटेबल कॉलेज में स्थानांतरित करने के आदेश हाई कोर्ट द्वारा दिये गये थे.

कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई, अवैध रेत परिवहन में ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 24 अप्रैल। जिले में अवैध खनिज परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देशानुसार खनिज विभाग की टीम ने आज शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना अभिवहन पास के रेत परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को जप्त किया है।

खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल के मार्गदर्शन में खनि निरीक्षक अशोक मिश्रा ने आज शुक्रवार को क्षेत्र में जांच अभियान चलाया। इस दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली क्रमांक एमपी 66 ए 1684 को रोककर जांच की गई, जिसमें वाहन चालक के पास रेत परिवहन से संबंधित वैध अभिवहन पास नहीं पाया गया। नियमों के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन को जप्त कर पुलिस चौकी जयंत में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया। खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जप्त वाहन के विरुद्ध खनिज नियमों के तहत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अवैध रेत खनन एवं परिवहन में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध दस्तावेजों के खनिज परिवहन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और जिले में इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे।

In The Court of principal Judge, Family Court, Satna (M.P.)

presiding officer:- श्रीमती नोरिन निगम

(विज्ञापन)

(वाद के निपटारे के लिए सम्मन्स)

(MICR239/2025)

जानू दाहिया

V/S

नागेन्द्र दाहिया

Process No.30/2026

पेशी दिनांक 16.06.2026

नागेन्द्र दाहिया तनय श्री रामगोपाल दाहिया उम्र 38 वर्ष निवासी बराकला बदेरा, थाना बदेरा, तहसील मैहर, जिला मैहर(म.प्र.)

आवेदिका श्रीमती जानू दाहिया, पुत्री श्री रामस्वरूप दाहिया, पता पड़खुरी तहसील रघुराजनगर जिला सतना (म.प्र.) ने आपके विरुद्ध आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बावत दिलाए जाने मासिक भरण पोषण राशि, का आवेदन संस्थित किया है. आपको इस न्यायालय में पेशी दिनांक 16.6.2026 को दिन में 11.00 आवेदन का जबाब देने के लिए उपसंजात होने के लिए समंस किया जाता है. न्यायालय में आपकी उपसंजात के लिए जो दिन नियत किया गया है वह इस बात के अंतिम निपटारा के लिए नियत दिनांक है, इसलिए आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को या उन दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रखना चाहिए, जिस पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिए निर्भर रहना चाहते हैं.

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात (हाजिर) नही होंगे तो आवेदन की सुनवाई या उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में कर दिया जावेगा.

यह आज दिनांक 21.04.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी किया गया है.

न्यायाधीश
Principal Judge
Family Court, Satna (M.P.)

कृपया ध्यान दें:- यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्य दिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा.

In The Court Of 1 Civil Judge Senior Division and Chief Judicial Magistrate, District Court, Singruali

Presiding Officer: शिव चरण पटेल

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम सक्सेशन एकरण क्रमांक (MJC SUC/0000002/2026)

उर्मिला कुमारी.....आवेदक Vs

हर आम व खास.....अनावेदक

Process Id-/2026

पेशी दिनांक:- 24/06/2026

प्रेषिती:- (1)हर आम व खास पत्ता-जिला सिंगरौली म.प्र. (2) आम जनता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक उर्मिला कुमारी पता ने मृतक सुरेन्द्र कुमार सिंह पिता स्व. आशुदेव सिंह निवासी ग्राम इम्ब्राहिमपुर पोस्ट हर पुरकराह जिला सारन छपरा बिहार की .....राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 24 June 2026 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 24 June 2026 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें। सूचना उपरांत, यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवायी एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा। यह आज तारीख 15 April 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

न्यायालय की मुद्रा

शिवचरण पटेल
न्यायाधीश
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न, म.प्र.

टिप्पणी:- छायाप्रति संलग्न

कृपया ध्यान दें:- 1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो अगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

अधिकारी आवंटित वार्डो में निकलकर फील्ड पर दिखाएं मुस्तैदी : सविता

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 24 अप्रैल। नगर निगम आयुक्त सविता प्रधान आज शुक्रवार की सुबह से ही एक्शन मोड में नजर आई।

उन्होंने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रातः 7:30 बजे वार्ड क्रमांक 24, 25 एवं 26 का सघन भ्रमण किया। नवानगर चौराहे से शुरू हुए इस औचक निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था, सड़कों की स्थिति और भीषण गर्मी के मद्देनजर पेयजल आपूर्ति का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुविधाओं के मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयुक्त ने सफाई व्यवस्था के संबंध में निर्देशित किया कि डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण पर विशेष निगरानी रखे। उन्होंने निर्देशित किया कि कचरा संग्रहण करने वाले वाहन अनिवार्य रूप से निर्धारित समय पर ही वार्डों में पहुँचें और कचरे का समयबद्ध उठाव सुनिश्चित करें। आयुक्त ने कहा कि वाहनों के समय पर न पहुँचने से सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि वे वाहनों के रूट और समय की नियमित मॉनिटरिंग करें तथा लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों व संबंधित एजेंसी पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर ननि आयुक्त ने की तैयारियों की समीक्षा

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 24 अप्रैल। स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ननि आयुक्त सविता प्रधान ने विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित कर अधिकारियों को निर्देशित किया।

बैठक में जमीनी स्तर पर निरीक्षण, चालानी कार्रवाई, जनजागरूकता अभियान और बहु-विभागीय समन्वय के माध्यम से शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की रणनीति तय की गई। बैठक में आयुक्त ने स्पष्ट किया कि स्वच्छता सर्वेक्षण के निर्धारित मानकों पर खरा उतरने के लिए केवल कागजी कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि प्रत्येक वार्ड में वास्तविक स्थिति का आंकलन जरूरी है। इसी उद्देश्य से वार्ड नोडल अधिकारियों को विस्तृत चेकलिस्ट उपलब्ध कराई गई है। इस चेकलिस्ट में कचरा संग्रहण, सड़क सफाई, डोर-टू-डोर कलेक्शन, सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता, डंपिंग पॉइंट्स की स्थिति और नागरिक सुविधाओं से जुड़े बिंदुओं को शामिल किया गया है। नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित निरीक्षण कर प्रत्येक बिंदु पर स्थिति का मूल्यांकन करें और समयबद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत करें। स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बरतने के लिए नगर निगम द्वारा विशेष चालानी दल का गठन किया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि स्वच्छता कार्यों की जिम्मेदारी को व्यापक बनाते हुए विभिन्न अधिकारियों को शामिल किया जाए। स्वास्थ्य अधिकारी के साथ-साथ कार्यपालन यंत्री संतोष पाण्डेय एवं उपायुक्त आरपी बैंस को भी स्वच्छता कार्यों की निगरानी और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे विभागीय समन्वय मजबूत होगा.

कार्यालय नगर परिषद् चित्रकूट जिला-सतना (म.प्र.)

cmochitrakoot@mpurban.gov.in phone:07670-265329
certified:iso9001 :2015, iso14001:2015

क्र.न.प./राजस्व/ /2026 चित्रकूट दिनांक 24.4.26

:: संशोधित सार्वजनिक सूचना ::

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/2445/13630669/2023/183/भोपाल/दिनांक/15.06.2023 के अनुसार बाजार बैठकी तहबजारी वसूली पी.एम.स्वनिधि के हितग्राहियों से अर्धवार्षिक 500/एवं वार्षिक 1000/ वसूली किये जाने के निर्देश दिये गये हैं जिस संबंध में आप समस्त अस्थाई दुकानदारों हाथ ठेला/फेरी वाले एवं रेहडी वालों को सूचित किया जाता है कि लगने वाली राशि प्रत्येक छः माह में 500/रुपये व एक वर्ष का 1000/रुपये निर्धारित किया गया है, माह अप्रैल, 2026 से प्रभावशील किया जावेगा.

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद चित्रकूट, जिला-सतना (म.प्र.)